[2020] 3 एस. सी. आर. 328

केरल राज्य ई. टी. सी.

वी.

राजेश ईटीसी।

(आपराधिक अपील सं। 154-157 2020 का)

24 जनवरी, 2020

[इंदु मल्होत्रा और अजय रस्तोगी, जे. जे.]

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 - एस. 37

& एसएस। 2 (viia), (xxiiia), 20 (b) (ii) (c), 29-s की योजना। 37 – अपराध No.14/2018 में, अभियुक्त व्यक्ति (A1 से A3) संयुक्त रूप से पाए गए थे।

आई. डी. 1..... 13,50,000 / - – अभियुक्त प्रत्यर्थी के खिलाफ आरोप-ए 5 यह था कि उसने अल को ए-2 के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक्री के लिए हशीश का तेल सौंपा था-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए ए 5 के आवेदन को खारिज कर दिया-उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत-इसके अलावा,

अपराध No.19/2018 में अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि अभियुक्त प्रतिवादी A1 (जो अपराध No.14/2018 में A5 है) के साथ A3 सहित दो अन्य व्यक्तियों के पास 1.800 किलोग्राम हशीश तेल पाया गया-दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद की जमानत को सत्र न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया था-उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत-अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः हशीश तेल एस. एल. में दिखाया गया है। अधिसूचना डी. टी. डी. में संख्या 13। 19.10.01 केंद्र सरकार द्वारा यू/शक्ति के प्रयोग में जारी किया गया एस. 2 (viia) और (xxiiia), एन. डी. पी. एस. अधिनियम-1 किलोग्राम से अधिक का हशीश तेल वाणिज्यिक मात्रा है -

जमानत देने के लिए न्यायालय एस के प्रावधानों द्वारा सीमित है। 37 , एन. डी. पी. एस. अधिनियम-एस. 37 यह बताता है कि जमानत देने की शक्ति का प्रयोग केवल निहित सीमाओं के अधीन नहीं है s.439, सी. आर. पी. सी., लेकिन एस. द्वारा रखी गई सीमा के अधीन भी है। 37 जो अबाधित खंड के साथ शुरू होता है-उक्त धारा का परिचालन भाग नकारात्मक रूप में है जो अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत का विस्तार निर्धारित करता है, जब तक कि दो शर्तें पूरी नहीं हो जाती हैं-पहली शर्त यह है कि अभियोजन पक्ष को आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए; और दूसरी, यह है कि न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त व्यक्ति इस तरह के अपराध के लिए दोषी नहीं है। अपराध उच्च न्यायालय ने एस के अंतर्निहित उद्देश्य की पूरी तरह से अनदेखी की। 37 कि सी. आर. पी. सी., या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत प्रदान की गई सीमाओं के अलावा, अनुदान को विनियमित करते हुए

जमानत, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत जमानत के मामले में इसका उदार दृष्टिकोण वास्तव में अनावश्यक है-एकल न्यायाधीश एक निष्कर्ष दर्ज करने में विफल रहे

अनिवार्य यू / धारा 37, एन. डी. पी. एस. अधिनियम, एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अभियुक्त को जमानत देने के लिए एक अनिवार्य शर्त-इसके अलावा, विचार जो प्रचलित था।

अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को जमानत देने के लिए न्यायालय पर (अपराध No.14/2018 में) अभियुक्त प्रतिवादी-ए 5 के कार्य को एस की कठोरता से दोषमुक्त नहीं करेगा। 37 , एन. डी. पी. एस. अधिनियम-उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों को जमानत पर रिहा करने के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है-दंड प्रक्रिया संहिता। 482 .

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः हशीश तेल एस. एल. में दिखाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 19 अक्टूबर, 2001 को जारी अधिसूचना संख्या 13 में

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 2 (viia) और (xxiiia) के तहत शक्ति का प्रयोग। 1 किलोग्राम से ऊपर का हशीश तेल वाणिज्यिक मात्रा है। द.

जमानत देने के लिए न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों द्वारा सीमित है। यह उस स्थिति में दिया जा सकता है जब यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त

वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यह विधायिका का जनादेश है जिसका पालन किया जाना आवश्यक है। [पैरा 17,18] [354-डी-ई]

भारत संघ बनाम। राम समुझ और ओआरएस। 1999 (9) एससीसी

429 [1999] 2 पूरक। एससीआर 76-पर निर्भर।

सतपाल सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2018) 13 एससीसी 813: [2018] 3 एस. सी. आर. 739-संदर्भित।

1.2 धारा 37 की योजना से पता चलता है कि जमानत देने की शक्ति का प्रयोग केवल निहित सीमाओं के अधीन नहीं है सी. आर. पी. सी. की धारा 439 के तहत, लेकिन यह धारा 37 द्वारा रखी गई सीमा के अधीन भी है जो गैर-अवरोध खंड से शुरू होती है। उक्त खंड का सक्रिय भाग नकारात्मक रूप में है।

अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोपी किसी भी व्यक्ति के लिए जमानत का विस्तार निर्धारित करना, जब तक कि दो शर्तें पूरी न हो जाएं। पहली शर्त यह है कि अभियोजन पक्ष को आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए; और दूसरी, यह है कि न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है। अगर कोई भी

इन दो शर्तों में से संतुष्ट नहीं है, जमानत देने के लिए प्रतिबंध [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अभियुक्त को जमानत देना। उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों को जमानत पर रिहा करने के विवादित आदेश को खारिज कर दिया गया है। ट्रायल कोर्ट को आगे बढ़ने का निर्देश दिया जाता है और मुकदमे में तेजी लाएं। [पैरा 20,22 और 26] [356-ई-एफ; 357-बी; 358-डी]

मामला कानून संदर्भ

[2018] 3 एससीआर 739

संदर्भित किया गया है

पैरा

12

[1999] 2 पूरक। एससीआर 76

उस पर भरोसा करें

पैरा

19

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

नं. 154-157 2020 से।

उच्च न्यायालय के 12.06.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

केरल के एर्नाकुलम में। एम. एप्प्लन। जमानत अर्जी में 2019 का सं. 2। 2019 का सं. 2765, क्र. सं. एम. एप्प्लन। जमानत अर्जी में 2019 का सं. 2। 2019 का सं. 2996, क्र. सं. एम. एप्प्लन। जमानत अर्जी में 2019 का सं. 2। 2019 का सं. 3229।

रंजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता। , जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., सुश्री प्रियंका

प्रकाश, सुश्री बीना प्रकाश, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

बसंत आर., सीनियर एड. , शिनोज के. नारायणन, के. राजीव, अधिवक्ता। के लिए

उत्तरदाताओं।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अजय रस्तोगी, जे।

1. छुट्टी दे दी गई।

2. अपीलार्थी-अभियोजन पक्ष ने विवेकाधिकार को चुनौती दी है

केरल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किया गया

नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक की धारा 37 (1) (बी) (ii) के आदेश को ध्यान में रखे बिना आरोपी प्रतिवादियों को गिरफ्तारी के बाद जमानत देना।

पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे इसके बाद "एन. डी. पी. एस. अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) दिनांक 10 मई, 2019 के आदेश के तहत, जिसके बाद 12 जून, 2019 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया (जिसे इसके बाद "सी. आर. पी. सी". के रूप में संदर्भित किया जा रहा है)। 10 मई, 2019 के गिरफ्तारी के बाद जमानत के आदेश को वापस लेने के लिए।

3. यह ध्यान दिया जा सकता है कि अभियुक्त प्रतिवादी शाजिमोन (ए-5) में है।

अपराध सं. 14/2018 और (A-1) अपराध सं. 19/2018 में और एक अन्य अभियुक्त प्रतिवादी राजेश अपराध सं. 19/2018 में (A-3) है।

केरल राज्य ई. टी. सी. v. राजेश ईटीसी। [अजय रस्तोगी, जे.]

अपराध सं. 14/2018 के तथ्य

4. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 25 मई, 2018 को मन्नानथला में स्थित होटल एक्केरॉक के पार्किंग क्षेत्र में शाम 5:30 बजे आरोपी

5. अभियुक्त प्रत्यर्थी (ए-5) द्वारा गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए दायर एक आवेदन पर, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 (1) (बी) (आई) और (2) के आदेश को ध्यान में रखते हुए कहा कि यह मानने के लिए एक प्रथम दृष्टया सामग्री थी कि अभियुक्त ने अपराध किया था। एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (सी) और धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध और गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए आवेदन को खारिज कर दिया।

दिनांक 21 फरवरी, 2019 जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन दायर करने वाले अभियुक्त प्रतिवादी के कहने पर चुनौती दी गई थी। 6. एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 पर ध्यान दिए बिना और इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना कि अन्य अभियुक्त

अपराध सं. 14/2018 (ए-1 से ए-4) में व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया है।

उन्हें 10 मई, 2019 के आदेश के तहत गिरफ्तारी के बाद जमानत दी गई, जो हमारे समक्ष अपील का विषय है।

अपराध सं. 19/2018 के तथ्य

7. अपराध सं. 19/2018 में अभियुक्त उत्तरदाताओं को आबकारी सर्कल कार्यालय, तिरुवनंतपुरम में पंजीकृत किया गया है।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (सी) के तहत दंडनीय अपराध। यह देखा जा सकता है कि अपराध सं. 14/2018 में A-5 अपराध सं. 19/2018 में A-1 (शाजीमोन) है और अन्य आरोपी अर्थात राजेश A-3 है। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 25 अक्टूबर, 2018 को अरिस्टो जंक्शन, तिरुवनंतपुरम में शाम करीब 5.45 बजे, आरोपी प्रतिवादी (शाजीमोन-ए 1) के साथ ए-3 (राजेश) सहित दो अन्य व्यक्तियों के पास 1 किलोग्राम हशीश तेल पाया गया। उन्हें एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 20 (बी) (ii) (सी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए 25 अक्टूबर, 2018 को गिरफ्तार किया गया था।

0] 3 एस. सी. आर. के बाद

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21 फरवरी, 2019 के आदेश के तहत ठोस कारण बताने के बाद खारिज कर दिया गया और दोनों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी जमानत याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने 10 मई, 2019 के अपने आदेश के माध्यम से अपराध संख्या 19/2018 में ए-1 और ए-3 को जमानत दे दी और कहा कि दोनों अभियुक्तों ने न्यायिक हिरासत में 195 दिन पूरे कर लिए हैं और उन्हें आगे हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ कुछ भी जांच की जानी बाकी नहीं है। यद्यपि एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 को विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा विवादित आदेश में इसका अनुपालन दिखाने के उद्देश्य से नहीं संदर्भित किया गया है, बल्कि 10 मई, 2019 के आदेश के तहत गिरफ्तारी के बाद जमानत देने का निर्णय लेने में विवेक के उचित अनुप्रयोग को उचित ठहराने के लिए संदर्भित किया गया है।

8. यह भी देखा जा सकता है कि प्रतिवादी (ए-5) को पहले एस. सी. 235/2005 में आबकारी अधिनियम की धारा 55 (ए) के तहत दोषी ठहराया गया था। साथ ही, अपराध सं. 14/2018 में गवाह को धमकी देने के लिए, उसके खिलाफ एक अलग अपराध सं. 38/2018 दर्ज किया गया है।

9. विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा गिरफ्तारी के बाद जमानत दिए जाने के तुरंत बाद, अपीलार्थी द्वारा विभिन्न आवेदन दायर किए गए थे

गिरफ्तारी के बाद जमानत देने के आदेशों को वापस लेने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482

अभियुक्त उत्तरदाताओं ने दिनांक 10 मई, 2019 को उत्तर दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पैराग्राफ 16 में की गई दलीलों को नोटिस करने के बाद कहा कि भले ही यह एक गलत आदेश था और इसमें दिमाग का उपयोग शामिल नहीं था, फिर भी न्यायालय के लिए धारा 482 सीआरपीसी का आह्वान करने वाले तथ्यों पर पुनर्विचार करने के लिए खुला नहीं था और अपना विचार व्यक्त किया कि राज्य का उपाय उच्च मंच के समक्ष न्यायालय के आदेशों को लागू करने में निहित है, यदि ऐसा सलाह दी जाती है, और 12 जून, 2019 के आदेश के माध्यम से आवेदन को खारिज कर दिया, जो हमारे सामने चुनौती का विषय भी है।

10. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री रंजीत कुमार प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के बाद अनुमति देने में अभियुक्त प्रतिवादियों के पक्ष में विवेक का प्रयोग करने में एक स्पष्ट त्रुटि की है।

एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 (1) (बी) (2) के अधिदेश पर ध्यान दिए बिना उन्हें जमानत।

11. विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि जमानत को अस्वीकार करना नियम है, और इसका अनुदान एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 (1) (बी) (ii) के तहत एक अपवाद है। जमानत देने के लिए न्यायालय को अभिलेख के आधार पर इसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर, संतुष्ट रहें कि केरल राज्य के लिए उचित आधार हैं।

राजेश ईटीसी। [अजय रस्तोगी, जे.]

13. इसके विपरीत, श्री आर. बसंत, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील हैं। कार्यवाहियों में आरोपित प्रस्तुत करता है कि अपराध सं. 14/2018 में अभियुक्त सं. 1 4 को उच्च न्यायालय द्वारा 4 अक्टूबर, 2018,20 फरवरी, 2019 और 25 फरवरी, 2019 के आदेशों के माध्यम से गिरफ्तारी के बाद जमानत दी गई थी और अभियोजन पक्ष ने अन्य सभी अभियुक्त व्यक्तियों को जमानत देने को चुनौती देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। दी गई परिस्थितियों में, गिरफ्तारी के बाद की जमानत जो अपराध संख्या 14/2018 (शाजीमोन) में प्रतिवादी (ए-5) को दी गई है, किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करती है।

14. विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि जहाँ तक अपराध संख्या 19/2018 का संबंध है, उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है

15. विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि दोनों मामलों में आरोप पत्र दायर किया गया है, अर्थात् अपराध संख्या 14/2018 और अपराध संख्या 19 / 2018 और मामला आरोप तय करने के लिए तय किया गया है। अभियुक्त प्रत्यर्थियों से आगे की जाँच की आवश्यकता नहीं है, और विवादित निर्णय के तहत विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थियों को गिरफ्तारी के बाद जमानत देते समय कड़ी शर्तें रखी हैं, जो न तो की गई हैं।

दुरुपयोग किया गया और न ही उल्लंघन किया गया और सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने और एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 पर ध्यान देने के बाद, संतोष दर्ज किया गया है कि आरोपी प्रतिवादी गिरफ्तारी के बाद जमानत के हकदार हैं। एक बार विवेकाधिकार [2020] 3 एस. सी. आर.

विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा अभिलेख पर तथ्यों के आधार पर प्रयोग किया गया है, अभियुक्त उत्तरदाताओं के पक्ष में प्रयोग किए गए विवेकाधिकार के साथ हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

16. विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि प्रतिवादियों ने पता लगाने वाले अधिकारी के बैचमेट के खिलाफ भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत मुकदमा शुरू किया था और ऐसे बैचमेट को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत अपराध का दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से इस तथ्य से अवगत था कि यह प्रतिवादी की शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए पता लगाने वाले अधिकारी-सहयोगियों की पूर्व शत्रुता के कारण गलत निहितार्थ का मामला हो सकता है। एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत प्रतिवादी के खिलाफ कोई पूर्व मामला नहीं है, इन दो मामलों को छोड़कर, और न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग किया गया है,

इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

17. यह देखा जा सकता है कि हशीश तेल एस. एल. में दिखाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 19 अक्टूबर, 2001 को जारी अधिसूचना संख्या 13 एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 2 (viia) और (xxiiia) के तहत शक्ति का प्रयोग करना। 1 किलोग्राम से ऊपर का हशीश तेल वाणिज्यिक मात्रा है।

18. जमानत देने का न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 37 के प्रावधानों द्वारा सीमित है। यह उस स्थिति में दिया जा सकता है जब यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है, और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। यह विधायिका का जनादेश है जिसका पालन किया जाना आवश्यक है। इस मोड़ पर अधिनियम की धारा 37 का संदर्भ उपयुक्त है। यह प्रावधान अधिनियम के तहत अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बनाता है। वह इस प्रकार हैः

" 37. अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होने चाहिए। — (1)

दंड संहिता में कुछ भी निहित होने के बावजूद

प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2), -

(क) इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा; (बी) [धारा 19 या धारा 24 या धारा 27 ए के तहत अपराधों और वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराधों के लिए भी] दंडनीय अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को रिहा नहीं किया जाएगा।

जमानत या अपने स्वयं के मुचलके पर जब तक कि

(i) लोक अभियोजक को इस तरह की रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है, और केरल ई. टी. सी. का राज्य।

राजेश ईटीसी। [अजय रस्तोगी, जे.]

((ख) जहाँ लोक अभियोजक इसका विरोध करता है -

आवेदन, अदालत संतुष्ट है कि वहाँ है

इस तरह के अपराध का और कि उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है जमानत पर रहते हुए अपराध।

(2) के खंड (बी) में निर्दिष्ट जमानत देने की सीमाएँ उप-धारा (1) संहिता के तहत सीमाओं के अतिरिक्त हैं

दंड प्रक्रिया, 1973 (1974 का 2), या इसके लिए कोई अन्य कानून जमानत देने पर समय लागू है। ”

(जोर दिया गया)

19. इस न्यायालय ने पालन करने के लिए व्यापक मानदंड निर्धारित किए हैं

अभियुक्त द्वारा जमानत के लिए दायर आवेदन पर विचार करना

एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत। भारत संघ बनाम राम समूह और 1999 (9) एस. सी. सी. 429 में, इसे निम्नानुसार विस्तृत किया गया है:

" 7. यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि उपरोक्त विधायी जनादेश

इसका पालन और पालन करने की आवश्यकता है। इसे धारण करना चाहिए

या दो व्यक्ति, जबकि वे व्यक्ति जो मादक पदार्थों का व्यापार कर रहे हैं मादक पदार्थ मृत्यु या मृत्यु-आघात करने में सहायक होते हैं।

समाज पर हानिकारक प्रभाव और घातक प्रभाव डालता है; वे समाज के लिए खतरा हैं, भले ही उन्हें रिहा कर दिया जाए।

अस्थायी रूप से, सभी संभावनाओं में, वे अपनी नापाक हरकत जारी रखेंगे

इसका कारण बड़ी हिस्सेदारी और अवैध लाभ शामिल हो सकते हैं। यह न्यायालय, के अधीन दंड के संबंध में विवाद से निपटना

एन. डी. पी. एस. अधिनियम, के प्रतिकूल प्रभाव के बारे में संक्षिप्त रूप से देखा गया है

डूरंड डिडिएर बनाम में ऐसी गतिविधियाँ। मुख्य सचिव। , केंद्र शासित प्रदेश

गोवा का [(1990) 1 एस. सी. सी. 95] निम्नानुसार है:

24. गहरी चिंता के साथ, हम यह इंगित कर सकते हैं कि संगठित

अधोलोक की गतिविधियाँ और गुप्त तस्करी

इस देश में मादक पदार्थ और मनोदैहिक पदार्थ

और इस तरह के ड्रग्स और पदार्थों की अवैध तस्करी के कारण जनता के एक बड़े वर्ग के बीच नशीली दवाओं की लत,

विशेष रूप से किशोरों और दोनों लिंगों के छात्रों और

खतरे ने गंभीर और खतरनाक अनुपात ले लिया है

हाल के वर्षों में। इसलिए, प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए और [2020] 3 एस. सी. आर.

समग्र रूप से समाज पर हानिकारक प्रभाव और घातक प्रभाव डालने वाले इस बढ़ते और बढ़ते विनाशकारी खतरे को समाप्त करने के लिए, संसद ने अपने विवेक से 1985 के इस अधिनियम 81 को लागू करके प्रभावी प्रावधान किए हैं।

अनिवार्य न्यूनतम कारावास और जुर्माना।

8. बाजार में खतरनाक मादक पदार्थों की बाढ़ के खतरे को रोकने के लिए, संसद ने प्रावधान किया है कि एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अपराधों के आरोपी व्यक्ति को मुकदमे के दौरान जमानत पर रिहा नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि धारा 37 में अनिवार्य शर्तें प्रदान नहीं की जाती हैं, अर्थात्ः ((i) यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि अभियुक्त

ऐसे अपराध का दोषी नहीं है; और

((ii) जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है। उच्च न्यायालय ने कोई उचित कारण नहीं दिया है

प्रतिवादी-अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते समय उपरोक्त आदेश का पालन नहीं करने के लिए। अदालत ने खतरनाक मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के साथ आने वाले हानिकारक सामाजिक आर्थिक परिणामों और स्वास्थ्य खतरों के बारे में समग्र दृष्टिकोण रखने का प्रयास करने के बजाय,
कानून को उस भावना से लागू करना चाहिए जिसके साथ संसद,

उचित विचार-विमर्श के बाद, इसमें संशोधन किया गया है।

20. धारा 37 की योजना से पता चलता है कि जमानत देने की शक्ति का प्रयोग केवल धारा के तहत निहित सीमाओं के अधीन नहीं है

439 सी. आर. पी. सी. की, लेकिन यह धारा 37 द्वारा रखी गई सीमा के अधीन भी है जो गैर-अवरोध खंड से शुरू होती है। उक्त धारा का कार्यात्मक भाग नकारात्मक रूप में है जो अधिनियम के तहत अपराध करने के आरोपी किसी भी व्यक्ति को जमानत बढ़ाने का निर्देश देता है, जब तक कि दो शर्तें पूरी न हो जाएं। पहली शर्त यह है कि अभियोजन पक्ष को आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया जाना चाहिए और दूसरी शर्त यह है कि न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है। यदि इन दोनों शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो जमानत देने पर प्रतिबंध लागू होता है।

21. "उचित आधार" अभिव्यक्ति का अर्थ कुछ और है।

प्रथम दृष्टया आधारों से अधिक। यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त संभावित कारणों पर विचार करता है कि अभियुक्त कथित अपराध का दोषी नहीं है। प्रावधान में विचार किए गए उचित विश्वास के लिए ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों के अस्तित्व की आवश्यकता होती है जो इस संतुष्टि को सही ठहराने के लिए पर्याप्त हैं कि अभियुक्त कथित अपराध का दोषी नहीं है।

दूसरी ओर, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने धारा 37 के अंतर्निहित उद्देश्य की पूरी तरह से अनदेखी की है कि दंड प्रक्रिया संहिता, या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत प्रदान की गई सीमाओं के अलावा, जमानत देने को विनियमित करने के लिए, एनडीपीएस अधिनियम के तहत जमानत के मामले में उसका उदार दृष्टिकोण वास्तव में अनावश्यक है।

22. हम आगे यह देखना चाहेंगे कि विद्वान एकल न्यायाधीश एन. डी. पी. एस. की धारा 37 के तहत अनिवार्य निष्कर्ष दर्ज करने में विफल रहे हैं। अधिनियम जो एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत अभियुक्त को जमानत देने के लिए एक अनिवार्य शर्त है।

23. प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील द्वारा यह निवेदन कि अपराध सं. <आईडी1 में अन्य अभियुक्त व्यक्तियों (ए-1 से ए-4) को जमानत दी गई है, और अभियोजन पक्ष द्वारा अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तारी के बाद जमानत देने को चुनौती देने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, इस कारण से कोई परिणाम नहीं है कि अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को जमानत देने के लिए अदालत पर जो विचार किया गया है, वह अभियुक्त प्रत्यर्थी (ए-5) के कार्य को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 की कठोरता से मुक्त नहीं करेगा।

24. प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील का आगे यह निवेदन कि उन्हें अपराध संख्या 19/2018 में इस कारण से गलत तरीके से फंसाया गया है कि आबकारी अधिकारी के बैचमेट, बाबू वर्गीज को प्रत्यर्थी द्वारा लगाए जा रहे जाल पर भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया गया था-शाजीमोन (ए-1) केवल आत्मरक्षा का एक अनुमान है, और गलत निहितार्थ का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, अधिक जब अपराध सं. 19/2018 और 14/2018 में, जांच के बाद आरोप पत्र दायर किए गए हैं और मामले को अभियोग तैयार करने के लिए विद्वत विचारण न्यायाधीश के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है जहां अभियुक्त उत्तरदाताओं को निश्चित रूप से अपनी दलीलें देने का अवसर मिलता है।

25. इसके अलावा, अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर किए गए आवेदन में,

विद्वत एकल न्यायाधीश ने प्रथम दृष्टया यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त प्रतिवादियों को जमानत देने में त्रुटि हुई है जैसा कि विवादित निर्णय के पैरा 16 में निम्नानुसार देखा गया है:

" एन. डी. पी. एस. अपराध संख्या में एक ओर ए 1 और ए 3 और दूसरी ओर 5 वें अभियुक्त के जमानत आवेदनों को अनुमति देने वाले 10.5.2019 पर दिए गए आदेशों को देखने पर। 19/2018 और 14/2018 क्रमशः,

मैंने पाया कि न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 37 में निर्धारित सिद्धांतों का संज्ञान लेने के बाद जमानत दी गई थी, चाहे वह [2020] 3 एस. सी. आर. हो।

अंततः यह सही या गलत निकला। तीसरा हो सकता है

आरोपी चिंतित था, गलत धारणा के तहत आदेश पारित किया गया था

तथ्यों से। इसी तरह, पहले से संबंधित आपराधिक पृष्ठभूमि अभियुक्त इस न्यायालय के ध्यान में नहीं आया। क्या हो सकता है

इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के बारे में सबसे अधिक कहा जाना चाहिए कि यह था गलत या इसमें दिमाग का उपयोग शामिल नहीं था। लेकिन फिर

सवाल यह उठता है कि क्या वही अदालत कानून के तहत ऐसा कर सकती है।

संहिता की धारा 482 को लागू करने वाले तथ्यों पर पुनर्विचार करें। मैं हूँ।

राय है कि राज्य का उपाय चुनौती देने में निहित है इस न्यायालय के आदेश, यदि यह वास्तव में व्यथित था, एक वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष

इस न्यायालय के आदेश को वापस लेने की मांग करने वाले आवेदनों में से कानून के तहत बनाए रखने योग्य "।

(जोर दिया गया)

26. परिणामस्वरूप, अपीलों की अनुमति दी जाती है और विवादित आदेश दिया जाता है।

डी उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों को जमानत पर रिहा करना एतद्द्वारा निर्धारित किया गया है

. अभियुक्त उत्तरदाताओं के जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं और उन्हें हिरासत में लिया जाता है। ट्रायल कोर्ट को प्रो का निर्देश दिया जाता है

मुकदमे को आगे बढ़ाएँ।

27. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपीलों की

अनुमति दी गई।

पांडे